फर्द अहकाम

लय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

योगेन्द्र खण्डेलवाल बनाम भवानीशंकर

संख्या / वर्ष दावा 315 / 2016

	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	24.2.2022	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता द्वारा अन्तिम बहस की गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 8/3/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	8/3/2022	पत्रावली पेश हुई। वादी साक्ष्य वाद के समर्थन में दस्तावेज साक्ष्य साबित नहीं कर पाने पर वाद वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो नम्बर से कम हो सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:04:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

समक्ष पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 315/2016 वाद प्रस्तुति दिनांक : 28.10.2016

श्री योगेन्द्र खण्डेलवाल एच.यू.एफ. जरिये कर्ता योगेन्द्र पुत्र मातादीन खण्डेलवाल मकान नम्बर 3487, नाहरगढ रोड– जयपुर

.... वादी

बनाम

1. भवानीशंकर शर्मा पुत्र बैध हनुमान दत्त शर्मा जाति ब्राहमण निवासी प्लाट नं. ए–6 शास्त्री नगर जयपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील –आमेर, जिला–जयपुर।
3. उपपंजीयक आमेर उपपंजीयन कार्यालय आमेर, जिला जयपुर

..........प्रतिवादीगण

राजस्व वाद बाबत घोषणा, दुरस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 89,व 188

निर्णय दिनाँकः– 08.03.2022

उपस्थिति :– (1) अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल – वादी की ओर से
(2) प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है, वादीगण ने वाद पत्र में अंकित यह किया गया है कि वादी कृषि आराजी भूमि हाल खसरा नम्बर 400 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 425 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 426 रकबा 0.02 है0 किता 4 कुल रकबा 0.94 है0 वाकै ग्राम मोठू का बास तहसील आमेर जिला जयपुर के रिकार्डेड काबिज खातेदार घीसा पुत्र गुल्ला माली से वादी ने उक्त आराजी वेल्यूबल कंसीडरेसन मनी देकर दिनांक 6.11.95 को जरिये विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तब से निरंतर वादी आराजी उक्त पर काबिज उपयोग उपभोग में है।

उक्त विक्रय पत्र का अमल नामांतरण संख्या 106 दिनांक 24.11.95 को बहक केता वादी सहायक भू–प्रबंध अधिकारी आमेर मु0 सीकर ने दौराने सेटलमेंट तस्दीक किया।

उक्त नामांतरण संख्या 106 की पालना मे रिकार्ड जमाबंदी में अंकन दर्ज होना चाहिये था जो भू–प्रबंध कर्मचारियों की सहवन से हुई भूल की वजह से नही हो पाया और खसरा नम्बर 400 का रकबा 0.42 है0 की जगह 0.28 है0 ही दर्ज किया गया और खसरा नम्बर 400 का एक बटा नम्बर 400/844 रकबा 0.12 है0 कायम करते हुये खसरा नम्बर 400/844 रकबा 0.12 है0 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया और शेष रकबा 0.02 है0 की रकबा बरारी कर दी गई। जबकि वादी क्रय रकबा 0.42 है0 पर काबिज है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 403 का रकबा 0.35 है0 की जगह 0.32 है0 ही दर्ज किया गया हैं। और खसरा नम्बर 403 का एक बटा नंबर 403/845 रकबा 0.03 है0 कायम करते हुये खसरा नम्बर 403 403/845 रकबा 0.03 है0 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी क्रय रकबा 0.35 है0 पर काबिज है। उक्त बटा नबरान की खातेदारी वादी के

सहायक कलक्टर
आमेर जि. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:04:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नाम दर्ज की जानी चाहिये थी लेकिन भूप्रबंध कर्मचारियो की सहवन से हुई भूल से उक्त बटा नंबरान की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के गलत दर्ज कर दी जबकि वादी कयशुदा उक्त आराजी संपूर्ण पर काबिज उपयोग उपभोग में हैं।

भूप्रबंध कर्मचारियों की सहवन से हुई गलती के परिणाम स्वरूप प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम दर्ज उक्त बटा नंबर 400/844 रकबा 0.12 है0 व 403/845 रकबा 0.03 है0 का बेचानी अंतरण कर देना चाहता है जबकि न तो उक्त कायम नंबरान पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा है और न खातेदारी प्राप्त करने का कोई आधार प्रतिवादी संख्या 1 के पास है महज भूप्रबंध कर्मचारियो की गलती का फायदा प्रतिवादी संख्या 1 उठाना चाहता है।

वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज साक्ष्य में फोटो नकल विक्रय पत्र दिनांक 06.11.1995, नकल नामान्तरण संख्या 106 दिनांक 24.11.1995, नकल जमाबन्दी संवत 2072–75 खसरा नम्बर 400, 403 व नकल जमाबन्दी संवत 2072–75 खसरा नम्बर 400/844, 403/845 व नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया है।

वादीगण ने याचित किया है कि उक्त विक्रय पत्र की रूह से वादी को कानूनी अधिकार है कि कयशुदा आराजी उक्त संपूर्ण की खातेदारी अपने नाम घोषित कराते हुये राजस्व रिकार्ड मे दर्ज इंद्राज को दुरस्त करावें।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने कोई जवाब पेश नही किया तथा दिनाक 10.10.2019 जवाब का अवसर बन्द किया गया व दिनांक 15.3.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत किये।

1. PW1 योगेन्द्र खण्डेलवाल निवासी नाहरगढ रोड जयपुर
2. PW2 सुरेश सैनी पुत्र हरिनारायण निवासी रामनगर सोढाला जयपुर
3. PW3 उमेशचन्द खूंटेटा पुत्र कल्याणचंद निवासी 15, गोखले मार्ग सी–स्कीम जयपुर
4. PW4 संजय शर्मा पुत्र सत्यनारायण निवासी 210, शिवा नगर, 4 मान्डा जयपुर

प्रतिवादीगण 1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने से व प्रतिवादी संख्या 2,3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय बहस सुनी गई

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:04:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हमने विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। तथा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया। वादी ने सम्पूर्ण विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 400 रकबा 0.42 है0, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 425 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 426 रकबा 0.02 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.94 है0 वाके ग्राम मोटू का वास तहसील आमेर जिला जयपुर को रिकार्डेड खातेदार धीसा माली जरिये विक्रय पत्र 6.11.95 को सम्पूर्ण खरीदा। परन्तु वादी द्वारा उपरोक्त विक्रयपत्र की मात्र फोटो कॉपी ही पेश की है, ना तो विक्रय पत्र की प्रमाणित कॉपी पेश की, ना ही settlement का परचा आदेश/ खसरा परिशोधन पत्र पेश किया जिसके आधार पर निर्धारित किया जा सके कि खसरा नम्बर 400 से खसरा नं. 400/844, खसरा नं 403 से खसरा नं. 403/845 बना है या नही। वादी द्वारा कोई मिलान क्षेत्रफल भी पेश नही किया गया है जमाबंदी मे उक्त विवादित आराजी खसरा नं. 400/844, खसरा नं.403/845 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ही दर्ज है। मात्र नामांतरण की प्रमाणित प्रति ही वाद डिक्री किये जाने का आधार नही हो सकता। ऐसी स्थिति मे वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन मे दस्तावेज साक्ष्य से साबित नही कर पाये अतः वाद साक्ष्य के अभाव मे अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

निर्णय आज दिनांक 08.03.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:04:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या 641/2008
बउनवानी योगेन्द्र खण्डेलवाल बनाम भवानीशंकर

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारीः श्रीमती अपर्णा शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 315/2016 वाद प्रस्तुति दिनांक : 28.10.2016

1. श्री योगेन्द्र खण्डेलवाल एच.यू.एफ. जरिये कर्ता योगेन्द्र पुत्र मातादीन खण्डेलवाल मकान नम्बर 3487, नाहरगढ रोड– जयपुर

.... वादी

बनाम

1. भवानीशंकर शर्मा पुत्र बैध हनुमान दत्त शर्मा जाति ब्राहमण निवासी प्लाट नं. ए–6 शास्त्री नगर जयपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर,तहसील –आमेर, जिला–जयपुर।
3. उपपंजीयक आमेर उपपंजीयन कार्यालय आमेर, जिला जयपुर

..........प्रतिवादीगण

<u>राजस्व वाद बाबत घोषण,दुरस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 89,व 188</u>

वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेज साक्ष्य से साबित नही कर पाये अतः वाद साक्ष्य अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 08.03.2022 को जारी किया ।

खत---
दा----

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर
सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मानामा मुतफरित मीजान	2 रूपये 2 रूपये 4 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मानामा मुतफरित मीजान	2 रूपये 2 रूपये 4 रूपये	–

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:04:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner